



यातायात पुलिस हरियाणा
Traffic Police Haryana

(मोटर यान अधिनियम, 1988 व इसके अधीन बने नियमों को भंग करने की सूचना (Infringement report under Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made thereunder))



कार्यालय का नाम/ Office Name : **West Zone**



**NO
IMAGE
AVAILABLE**

**NO
IMAGE
AVAILABLE**

चालान दिनांक/Challan Date: **25-10-2018 12:57:04**

वाहन श्रेणी/ Vehicle Class:	Motor Cab	चालान संख्या/Challan no:	HR3879181025125704
वाहन संख्या/Vehicle no	HR55AA1542	चेसिस नं०/Chassis no:	MAKDF151KGN20XXXX
वाहनस्वामी का नाम/ Owner's Name:	ROHIT		
वाहनस्वामी का पता/ Owner's Address	H NO- 57 Q BLOCK, NEW ROSHAN PURA, SOUTH WEST DELH,DL		
चालक का नाम/ Driver's name	ROHIT		
पिता का नाम/ Father's name	MAHENDER		
ड्राइविंग लाइसेंस नं/ DL no.	DL09 20140260562	वैधता / Validity	
घटनास्थल/ Place of incident	West Zone		
अभिगृहीत दस्तावेज Document Impounded:	साक्षी का नाम Witness name:		
1: Driving Licence	No witness		

आरोपित अपराध / Offences Charged with:-

1: 70.Number Plate pattern/Without High Security Registration Number Plate (NA)

उक्त आरोपित अपराध के प्रति विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि (अंको एवं शब्दों में):- **500/-**

Penalty specified against above offences charged (in numerals and words): 500/-

five hundreds only

टिप्पणी / Remarks:

अभिगृहीत दस्तावेज का अस्थायी अधिकारपत्र दिनांकतक अथवा मूल दस्तावेज की वैधता तिथि तक, जो पूर्व में हो, वैध होगा।

The temporary authorization of impounded document shall be valid till (date)..... or till the validity of the original document, whichever is earlier.

हस्ताक्षर / Signature :

प्रवर्तन अधिकारी का नाम व पदनाम/Name and signature of Officer

ASI karan 938

.....

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 213(5)(ई) के अन्तर्गत बंधपत्र
(Bond under sec 213(5)(e) of Motor Vehicles Act,1988)

मैं वचन देता/ देती हूँ कि उक्त आरोपित अपराध/ अपराधों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए दिनांकको बजे..... प्रदेश सरकार के लिए रु 500 देने का उत्तरदायी होऊंगा।

I solemnly affirm that I shall be present at.....(place) on the specified date..... and time.....and, in case of failure to do so, shall be responsible to pay Rs 500 in favour of Government of State.

ड्राइवर/ वाहन स्वामी का नाम एवं हस्ताक्षर

Name and signature of Driver/Owner

ROHIT/ROHIT